न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– इन्द्र सिंह राव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 99/2018

बउनवान

सीताराम उम्र 67 वर्ष पुत्र श्री धूलीलाल जाति–मीणा निवासी ग्राम–मऊ तहसील–मॉगरोल जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार, मॉगरोल **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री बाबूलाल जैन, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक – 27.05.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मॉगरोल के आदेश दिनांक 12.10.2018 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–मऊ, तहसील–मॉगरोल की आराजी खसरा नम्बर 1020 रकबा 0.52 हैक्टर किस्म बारानी सिवायचक पर अतिक्रमी मानकर फसल जाप्ति,नीलामी, बेदखली, 596/–रूपये अर्थदण्ड एंव तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यो के प्रतिकूल होने से काबिल खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवायी जवाबदेहीं का अवसर दिये बिना निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। उक्त आराजी बंजड भूमि है जिसपर पिछले 10–15 वर्षो से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। उक्त आराजी के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मॉगरोल में दावा धारा, 88,89 आरटीए का जैरकार है। अपीलांट के पास इस भूमि के अलावा तीन बीघा भूमि है, अपीलांट भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में अता है, यह भूमि खेत के लगवां है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व उक्त आदेश पारित करने में भारी भूल की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.10.2018 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। उक्त आराजी अपीलांट के खेत के लगवां भूमि है जिसपर अपीलांट लगातार कई वर्षो से काबिज काश्त चला आ रहा था। इसका दावा भी उपखण्ड न्यायालय मॉगरोल में जैरकार है। किन्तु अपीलांट ने वर्तमान में उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुयी है। अपीलांट भविष्य मे उक्त आराजी पर कभी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मॉगरोल का निर्णय दिनांक 12.10.2018 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अपीलांट स्वंय ने अपील में अतिक्रमण करना स्वीकार किया है। धारा—91 बेदखली की कार्यवाहीं है जिसके तहत हीं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बेदखल किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपीलांट को पूर्व में उक्त आराजी पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 02/17 निर्णय दिनांक 07.11.2017 में भी बेदखल किया गया है, जो पश्चात्वर्ती अतिक्रमण होना सिद्ध करता है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी बारानी सिवायचक भूमि है जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 1020 रकबा 0.52 है0 ग्राम मऊ से पूर्व में मिसल नम्बर 02/17 निर्णय दिनांक 07.11.2017 से भी बेदखल किया जाना प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 28/18 में पारित आदेश दिनांक 12.10.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

([illegible] राव)
जिला कलक्टर बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official